

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 11/07/2017

संख्या-3/विविध-01-14/2014- 364(3) /स्वा0, डा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी-सह-प्रभारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को बिहार कोषागार संहिता संशोधन, 2011 के नियम 84 के तहत अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, सिवान का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा एवं अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान के नियमित पदस्थापन होने के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

ह0/-

(रवीन्द्र यादव)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक : 364(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक : 11.07.17

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिलाधिकारी, सिवान/क्षेत्रीय अपर निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, सिवान/डा0 प्रमोद कुमार पाण्डेय, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अवर सचिव

संलग्न
ता. 11.7.17